

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी वधियक, 2021

प्रलिस के लयः

डोपिंग, नाडा, वाडा ।

मेन्स के लयः

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी वधियक, 2021 के प्रावधान और संबधति मुददे ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [लोकसभा](#) ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी वधियक, 2021 पारति कयि, जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) के लयि वैधानकि ढाँचा तैयार करने का प्रयास करता है ।

- केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इसे पहली बार दसिंबर, 2021 में लोकसभा में पेश कयि गया था ।
- यह वधियक खलिाड़यिों के हतिों की रकषा करेगा क्योंकि यह उन्हें अपना पक्ष रखने के लयि पर्याप्त जगह प्रदान करेगा, खासकर जब वे डोपिंग रोधी आरोपों का सामना कर रहे हों ।

वधियक की मुख्य वशिषताएँ:

- **डोपिंग का नषिध:**
 - वधियक एथलीटों, एथलीट सपोर्ट कर्मयिों और अन्य वयक्तयिों को खेल में डोपिंग में शामिल होने से रोकता है ।
- **उल्लंघन के परिणाम:**
 - डोपिंग रोधी नयिम के उल्लंघन के परिणामस्वरूप खलिाडी को अयोग्य ठहराया जा सकता है, जसिमेंपदक, अंक और पुरस्कार की जब्ती, नरिधारति अवधति के लयि कसिी प्रतयिोगति या कार्यक्रम में भाग लेने की अयोग्यता, वत्तितीय प्रतबिध आदि शामिल हैं ।
- **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी हेतु वैधानकि समर्थन:**
 - वधियक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी को वैधानकि नकिय के रूप में गठति करने का प्रावधान करता है ।
 - इसकी अधयकषता केंद्र सरकार द्वारा नयिक्त महानदिशक करेगा । एजेंसी के कार्यों में शामिल हैं:
 - डोपिंग रोधी गतविधियिों की योजना बनाना, उन्हें लागू करना और उनकी नगिरानी करना ।
 - डोपिंग रोधी नयिमों के उल्लंघन की जाँच ।
 - डोपिंग रोधी अनुसंधान को बढ़ावा देना ।
- **खेल में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड (National Board for Anti-Doping in Sports):**
 - डोपिंग रोधी वनियिमन और डोपिंग रोधी अंतरराष्ट्रीय प्रतबिधताओं के अनुपालन पर सरकार को सफिरशिं करने के लयि वधियक खेल कषेत्र में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड की स्थापना करता है ।
 - बोर्ड एजेंसी की गतविधियिों की नगिरानी करेगा और उसे नरिदेश जारी करेगा ।
- **डोप परीकषण प्रयोगशालाएँ:**
 - मौजूदा राष्ट्रीय डोप परीकषण प्रयोगशाला को प्रमुख डोप परीकषण प्रयोगशाला माना जाएगा ।
 - केंद्र सरकार और अधकि राष्ट्रीय डोप परीकषण प्रयोगशालाएँ स्थापति कर सकती है ।

वधियक का महत्त्व:

- डोपिंग से लड़ने में एजेंसयिों के बीच सहयोग बढ़ाने के अलावा वधियक एथलीटों को समयबद्ध न्याय प्राप्त करने का प्रयास करता है ।
- यह खेलों के लयि अंतरराष्ट्रीय दायतिवों को पूरा करने हेतु भारत की प्रतबिधता को सुदृढ़ करने का भी एक प्रयास है ।
- यह वधियक डोपिंग रोधी नरिणय के लयि एक मज़बूत, स्वतंत्र तंत्र स्थापति करने में मदद करेगा ।
- यह वधियक नाडा और राष्ट्रीय डोप परीकषण प्रयोगशाला (NDTL) के कामकाज को कानूनी मान्यता देगा ।

वधियक से संबद्ध मुद्दे:

- महानदिशक की योग्यता वधियक में नरिदषिट नहीं हैं और नयिमों के माध्यम से अधसिचति करने के लिए छोड़ दी गई हैं ।
- केंद्र सरकार दुर्व्यवहार या अक्षमता या "ऐसे अन्य आधार" पर महानदिशक को पद से हटा सकती है ।
- इन प्रावधानों को केंद्र सरकार के वविक पर छोड़ने से महानदिशक की स्वतंत्रता प्रभावति हो सकती है ।
 - यह वशि्व डोपगि रोधी एजेंसी के अधदिश के वरिद्ध भी है कि ऐसे नकियों को अपने संचालन में स्वतंत्र होना चाहिये ।
- बलि के तहत बोर्ड के पास अनुशासन पैनल और अपील पैनल के सदस्यों को उन आधारों पर हटाने का अधिकार है जो वनियिमों द्वारा नरिदषिट किये जाएंगे और बलि में नरिदषिट नहीं हैं ।
- इसके अलावा उन्हें सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है । यह इन पैनलों के स्वतंत्र कामकाज को प्रभावति कर सकता है ।

डोपगि और संबंधति एजेंसियाँ:

- परचिय:
 - प्रदर्शन बढ़ाने के लिये खिलाड़ियों द्वारा कुछ नषिदिध पदार्थों का सेवन ।
- राष्ट्रीय डोपगि रोधी एजेंसी (NADA):
 - राष्ट्रीय डोपगि रोधी एजेंसी (NADA) को भारत में डोप मुक्त खेलों के लिये एक जनादेश के साथ 24 नवंबर, 2005 को सोसायटी पंजीकरण अधनियिम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापति किये गया था ।
 - इसका प्राथमकि उद्देश्य वशि्व डोपगि रोधी एजेंसी (WADA) कोड के अनुसार डोपगि रोधी नयिमों को लागू करना, डोप नरिदषण कार्यक्रम को वनियिमति करना, शकिषा और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा डोपगि एवं इसके दुष्परभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है ।
 - नाडा के पास इसके लिये आवश्यक अधिकार और ज़मिमेदारी है:
 - डोपगि नरिदषण में योजना, समन्वय, कार्यान्वयन, नगिरानी और सुधार की वकालत करना;
 - अन्य प्रासंगकि राष्ट्रीय संगठनों, एजेंसियों और अन्य डोपगि रोधी संगठनों आदि के साथ सहयोग करना ।
- वाडा:
 - नवंबर 1999 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपकि समति के तहत वशि्व डोपगि रोधी एजेंसी (WADA) की स्थापना की गई थी ।
 - खेल में डोपगि के खिलाफ यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (2005) द्वारा WADA को मान्यता दी गई है ।
 - WADA की प्राथमकि भूमकि सभी खेलों और देशों में एंटी-डोपगि नयिमों को वकिसति करना, सामंजस्य तथा समन्वय स्थापति करना है ।
 - यह वशि्व डोपगि रोधी संहति (वाडा कोड) और उसके मानकों के उचति कार्यान्वयन को सुनशिचति करने, डोपगि की घटनाओं की जाँच करने, डोपगि पर शोध करने, खिलाड़ियों व संबंधति कर्मियों को डोपगि रोधी नयिमों के बारे में शकिषति करने का कार्य करता है ।

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस